

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5904/2026

Rohit S/o Ranjan Banerjee, Aged About 38 Years, Chairman Of Sidhi Sankalp Pvt. Ltd, Resident Of Gokul Galaxy Udaipur-Dungarpur Link Road, Banswara, Presently Residing At Makan No. 412, Gokul Vatika, Gandhipath, Vaishalinagar, Police Thana Vaishalingar, Chitrakut Nagar, Jaipur, Raj. (Lodged In Dist. Jail Banswara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. J.V.S. Deora
For Respondent(s)	: Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/05/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 सी.आर.पी.सी. (483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता), पुलिस थाना कलिंजरा, जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 207/2015, अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 व 120-बी भारतीय दण्ड संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 30.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध मफरूरी में चालान पूर्व में पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **रोहित पुत्र रंजन बनर्जी** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J